हिन्दू धार्मिक प्रथाओं का विधवा महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का :एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(मथुरा जनपद के वृन्दावन क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग़ शिक्षण संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग़,
आगरा की
पीएच.डी.(समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु संशोधित अनुसंधान की रूपरेखा
(2019)

शोध पर्यवेक्षकः–

प्रो0 लजवन्त सिंह
विभाग–समाजशास्त्र एवं
राजनीति विज्ञान

शोधार्थिनी–

नितिका भारद्वाज

संकाय प्रमुखः–

प्रो0 कमलजीत संधू
समाज विज्ञान संकाय

विभागाध्यक्षः–

प्रो0 पूर्णिमा जैन
विभाग– समाजशास्त्र एवं
राजनीति विज्ञान

दयालबाग़ शिक्षण संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग़
आगरा–282005

प्रस्तावनाः—

भारतवर्ष अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मो का जन्म हुआ है, एवं भलीभाँति फल—फूल कर विकसित हुए हैं। प्रत्येक धर्म का मूल उद्देश्य समाज में शान्ति, भाईचारा, समरसता स्थापित कर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार कर समाज को प्रगति एवं उन्नति के मार्ग पर प्रसस्त करना होता है। परन्तु समाज के प्रभावशाली छोटे से तबके ने धर्म के मूल भावना के विपरीत जाकर अपनी समाज में सत्ता स्थापित करने के लिए धर्म को दोषपूर्ण रूप प्रदान किया है। और अनेक प्रकार के धर्म विरोधी, मानव विरोधी सांस्कृतिक, सामाजिक प्रथाओं एवं परम्पराओं का प्रचलन किया जिसमें महिला विरोधी परम्परायें भी थी जिसमें हम इन प्रथाओं को देख सकते हैं— **सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह** पर निषेध, आदि मुख्य हैं। इस तरह मनुष्य ने धार्मिक ग्रन्थों का गलत एवं दोषपूर्ण व्याख्यान कर इन सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रचलन किया। जिसके परिणामस्वरूप धीरे—धीरे महिलाओं की समाज में स्थिति दयनीय होती चली गयी और भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज के रूप में स्थापित हो गया। जिन हिन्दू धार्मिक ग्रन्थो में महिलाओं को उच्च दर्जा देकर देवी के रूप में देखा जाता था, परन्तु व्यावहारिक रूप में सामाजिक धरातल पर स्थिति उसके विपरीत है। **जवाहर लाल नेहरू का कहना था** कि ''धर्म के नाम पर समाज में महान कृत्य हुए हैं किन्तु धर्म के नाम पर ही अनेक प्रकार के बुरे कृत्य भी हुए हैं, और धर्म की आड़ में हर तरह के संभव अपराध को अंजाम दिया गया है।''

महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार व अपराध कोई वर्तमान समाज की घटना नहीं है, बल्कि इतिहास में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। जहाँ पर स्त्रियों को कई सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा था। वही इतिहास के विभिन्न कालों को परखा जाये तो हमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई है, किस तरह से इनकी स्थिति में पतन प्रारम्भ हुआ है तथा समाज ने किस प्रकार से धर्म व संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये साथ हि साथ उनको उन सभी अधिकारों से भी वंचित कर दिया जो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक थे। समय के

साथ–साथ हो रहे सामाजिक सरंचना में परिवर्तन व पुरूषों के वर्चस्व ने महिलाओं की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया।जिस कारण और समाज में स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में समझा जाने लगा।

विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थितिः–

- **वैदिक काल** – इस काल में स्त्री पुरूषों की स्थिति में समानता थी, इनको समाज में समान अधिकार प्राप्त थे। इस काल में लड़कियों का विवाह साधारण युवा अवस्था में ही होता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, विधवा अपनी इच्छानुसार पुनर्विवाह कर सकती थीं, नियोग द्वारा संतान भी उत्पन्न कर सकती थी, पत्नी की रक्षा करना पति का सबसे बड़ा धर्म था तथा उनका अपमान करना पाप। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में पत्नी का होना आवश्यक था
- **उत्तर वैदिक काल**– ईसा के 600 वर्ष से ईसा में 300 वर्ष बाद तक का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रारम्भिक वर्षो में महाभारत की रचना हुई। समय के बदले दौर में इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी उनसे सभी अधिकारों को छीना जाने लगा इसी काल में मनु स्मृति के द्वारा सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया, उन्हें वेदों को पढ़ने और यज्ञ करने से रोक दिया गया, पति की आज्ञा का पालन करना और पारिवारिक दायित्वों को निभाना ही एक मात्र कार्य रह गया। अब इनके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गयी। इस काल के अन्तिम वर्षो में स्त्रियों पर सैद्धान्तिक रूप से कई नियंत्रण लगा दिये गये।
- **धर्मशास्त्र काल**– इस काल के दौरान लड़की की विवाह की आयु को 10 वर्ष से 12 वर्ष निश्चित कर दी व बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होने लगा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गयी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति को गिराने में शास्त्रकारों की प्रमुख भूमिका थी, मनु के अनुसार ''स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। बाल्यावस्था में उसे पिता व युवा अवस्था में पति व वृद्धावस्था

में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। इस काल में स्त्री को वस्तु के रूप में देखा जाने लगा''। (शर्मा,2009)

- **मुगल काल** – मुगलकाल को मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में हिन्दू संस्कृति व धर्म के नाम पर स्त्रियों पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये गये। इस काल में स्त्री की पवित्रता व रक्त की शुद्धता पर ज्यादा बल दिया जाने लगा जिसके परिणाम स्वरूप बालविवाह, सती प्रथा का प्रचलन होने लगा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। तथा विधवाओं के सभी अधिकारों को छीन लिया गया और उनको सती होने के लिए बाध्य किया जाने लगा, और वह स्त्रियाँ पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से पूर्णतः पुरूष पर निर्भर हो चुकी थी और धर्म के नाम पर स्त्रियों का सर्वाधिक शोषण होने लगा। सती प्रथा का प्रचलन व विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध, पर्दा प्रथा का विस्तार व बहु विवाह की व्यापकता ने स्त्री की स्थिति को दयनीय बना दिया।

विधवा एवं विधवावस्था का अर्थः–

वह महिला जिसने अपना जीवनसाथी मृत्यु के कारण खो दिया हो व पुनर्विवाह के बन्धन में बंधी न हो उसे विधवा कहा जाता हैं। विधवावस्था महिला के जीवन की स्थिति में होने वाला वह परिवर्तन है जिसके द्वारा महिला वैवाहिक जीवन से विधवा जीवन में प्रवेश करती है और जिसमें वह अपना पति ही नहीं बल्कि वह अपना सम्मान, अभिमान, सौभाग्य, प्रतिष्ठा व सभी सामाजिक व सांस्कृतिक पक्षों से भी वचिंत हो जाती है। विधवा होना महिला के जीवन का सबसे बड़ा संकट है, जहाँ पर उसे कई नियम कानून व प्रथाओं की बेढ़ियों में जकड़ दिया जाता है तथा उन्हें समाज के मुख्यधारा से भी अलग कर दिया जाता है। वह विधवा महिलाएँ सामाजिक रूप से तो खत्म हो चुकी होती है, परन्तु वह शारीरिक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। (नेशनल कमीशन फॉर वूमेन) विधवावस्था महिला के लिए वह समय है, जो उसके रंगीन जीवन में अंधकार और उसके दामन में दुख, लाचारी भर देता है। जिसके फलस्वरूप विधवा महिलाएँ अपना अस्तित्व व आत्मसम्मान भी खो देती हैं और कदम–कदम पर वह अत्याचार व शोषण का शिकार बनती है।

विधवा महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः–

वैदिक समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह पर कोई सैद्धान्तिक या व्यावहारिक निषेध नहीं थे। ऋग्वेद व अथर्ववेद आदि में विधवाओं के पुनर्विवाह की व्यवस्था थी। विधवा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर व किसी संगोत्री व सपिण्डी से गर्भधारण कर सकती थी। किन्तु स्मृतिकाल से विधवा पुनर्विवाह आदि पर समाज में निषेध प्रारम्भ हो गये थे। **मनु के अनुसार**(5:56) ''पतिव्रता स्त्री को पति की मृत्यु के पश्चात् कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिए पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को अपना शरीर क्षीण कर देना चाहिए।'' उसे व्यभिचारी की इच्छा से किसी दूसरे पुरूष का नाम भी नहीं लेना चााहिए। पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी ब्रहमचारी रहती हुई बिना पुत्र उत्पन्न किये ही स्वर्ग को जाती है। मनु का मानना है कि(1:62) ''जो स्त्री संतान लोभ से दूसरे पुरूष के साथ व्यभिचार करती है, वह इस लोक में निन्दा को प्राप्त होती ही है तथा इस प्रकार उत्पन्न संतान से स्वर्ग से भी भ्रष्ट हो जाती है।'' विधवा पुनर्विवाह निषेध की जो रीति स्मृतिकाल से आरम्भ हुई वह लगभग 1000 ईसवी तक आते–आते एक कठोर सामाजिक नियम के रूप में स्थापित हो गई। चूंकि समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह के अधिकार नहीं रह गये और जिससे उनकी सामाजिक स्थिति अत्यधिक दयनीय होती गयी। परिणामस्वरूप विधवाओं के लिए अब जीवन का कोई मूल्य शायद ही रह गया हो। मनु ने विधवा महिला के लिए कुछ नियम व मानदण्ड बना दिये जिसमें उनके खाने, पहनने व श्रगांर आदि पर निषेध कर दिया। उनको सिर्फ सफेद साड़ी पहनना व सादा भोजन खाना व ब्रहमचारी, सन्यासी का जीवन व्यतीत करना, अपना जीवन भगवान की भक्ति में लीन कर देना था। पवित्रता उनका मुख्य कर्तव्य है जिसको बनाये रखना है। मनु का मानना था कि एक विधवा स्त्री अपना जीवन भगवान की उपासना में व्यतीत करे तथा इन सभी नियमों का पालन करें। कुछ समय उपरान्त ही सिर को मुड़वाने की प्रथा का भी प्रचलन होने लगा था। इन सभी नियमों के द्वारा महिला की सुन्दरता को कम करना तथा उनके कामवासना को नियत्रिंत करना था। ब्राहमण परिपेक्ष्य का मानना है कि ''विधावापन उस महिला के पूर्व जन्म के कर्म का दण्ड है जो कर्म उन्होने पिछले जन्म में किये थे उसका परिणाम व दण्ड है, वरना एक सच्ची पतिव्रता स्त्री कभी विधवा नहीं होती''। धर्मशास्त्र के अनुसारः इन्होनें

सती प्रथा व नियोग प्रथा का विरोध किया है। परन्तु उनका यह मानना था कि नियोग द्वारा उत्पन्न संतान का स्थान निम्न होगा असली संतान की तुलना में। परन्तु कौटिल्य विधवा पुनर्विवाह व नियोग का समर्थन करते थे, इनका मानना था, कि विधवा स्त्री को कुछ समय तक शोक में रहना चाहिए फिर बाद में उसी धार्मिक रीति–रिवाज के साथ शादी कर लेनी चाहिए।

हमारे धार्मिक ग्रन्थों में कई पर भी विधवा महिला के लिए सम्पत्ति के अधिकार का जिक्र नहीं किया है जिसके कारणवश उनको पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग व्यवस्था को अपनाना होता था। इस सम्पत्ति अधिकार के वचिंत होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न पायी जाती थी। अपनी जीविका के लिए उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जबकि बौद्ध धर्म में विधवाओं की स्थिति उच्च थी। इस धर्म में महिलाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसमें सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था तथा महिला को पुनर्विवाह की आजादी है। मुगलकाल में महिलाओं की स्थिति में तेजी से गिरावट हुई इस समय में सती प्रथा पूर्णरूप से स्थापित हो चुकी थी। और उनको कई बन्धनों में बांध दिया गया था पुनर्विवाह पूर्णरूप से निषेध हो गया इसी दौरान महिला की रक्षा तथा पवित्रता के लिए उनको कुरूप बना दिया जाता व उनकी सुन्दरता को छीन लिया जाता था।

कपाड़िया के अनुसारः ''वैदिक काल में विधवा महिला के लिए एक सुनहरा काल था जहाँ पर विधवा महिला को पुनर्विवाह करने की भी स्वतंत्रता थी, अपने पति की सम्पत्ति पर भी हक व अधिकार था। एक सन्तानहीन विधवा महिला का अपनी पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार था। तथा इस काल में विधवा महिला अपने मृत पति के भाई से पुनर्विवाह कर सकती थी। सतीप्रथा जैसी अमानवीय प्रथा इस काल में उपस्थित नहीं थी। पर समय के साथ–साथ इसमें परिवर्तन हो गया व मध्यकाल में इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गयी व विधवा विवाह वर्जित हो गये व सती प्रथा प्रारम्भ हो गयी। (शर्मा,2009)

हिन्दू समाज में विधवा महिलाओं की स्थितिः–

भारतीय हिन्दू समाज जो कि एक पुरूष प्रधान समाज है। जहाँ पर महिला आर्थिक व सामाजिक रूप से पुरूष पर ही निर्भर रहती है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में विधवा महिलाओं की

संख्या 3 मिलियन से अधिक थी। तथा सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विधवा महिलाओं की संख्या 23 मिलियन हो चुकी थी। व 2011 की जनगणना के अनुसार विधवा महिलाओं की संख्या बढ़कर 40 मिलियन हो गयी है।(पाठक,2010) भारतीय हिन्दू समाज एक पारम्परिक समाज है। जहाँ पर स्त्री का जीवन पूर्ण रूप से अपने पति पर निर्भर होता है। हिन्दू समाज में बिना पति के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इस समुदाय में विधवा की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जहाँ उनको बहुत सी अमानवीय कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनको अशुभ व अभिशाप के रूप में देखा जाता है। पति की मृत्यु के दौरान उससे उसकी पहचान सुन्दरता, उससे उसके अधिकार, सबकुछ छीन लिए जाते है और उनको नियमों में बाँध दिया जाता है। जैसे– सफेद साड़ी पहनना, सादा भोजन करना तथा किसी भी शुभ कार्य में जाना वर्जित होता है। व उनके सर को मुड़वा दिया जाता है। मृत्यु के दौरान होने वाली रस्म के अनुसार श्रृंगार जैसे– चूड़ी, सिन्दूर, बिन्दी, मंगलसूत्र आदि से सभी वस्तुएँ विधवा महिला के लिए मूल्यहीन हो जाती है। तथा व इन सभी से वचिंत होना पड़ता हैं। हिन्दू समुदाय में महिलाओं को पति की मृत्यु का जिम्मेदार मान कर समाज की मुख्य धारा से निकाल दिया जाता है। हमारे रूढ़िवादी हिन्दू समाज में महिलाओं के लिए दो आदर्शों को प्रस्तुत किया है। जिसमें एक सती प्रथा और दूसरा संयासी। विधवा महिला एक अशुभ का प्रतीक है, जहाँ पर हमारा परम्परागत समाज पुनर्विवाह करने की आजादी नहीं देता है। जिससे उनकी स्थिति में सुधार किया जाये। हिन्दू विधवा महिलाएँ अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करती है, व विभिन्न धार्मिक, सामाजिक नियमों में बांध दी जाती है जिस कारण वह समाज में वह अलगाव महसूस करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने जीवन को व्यतीत करने में वह बिना समाज के बिल्कुल असहाय व लाचार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विधवा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से अलग रखकर कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हिन्दू समाज में पुत्र प्राप्ति बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, जिस कारण पुत्र को प्रमुख दर्जा दिया जाता है, व पुत्री को निम्न दर्जा दिया गया है। अतः हिन्दू धर्म में महिला होना अभिशाप है, और उससे भी बड़ा अभिशाप विधवा होना।

भारत में मुख्य रूप से हिन्दू धर्म में विधवावस्था एक गम्भीर समस्या है। क्योकि हिन्दू धर्म में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है, और यह पति पत्नी का जन्म जन्मातंर का बंधन है। जिसको तोड़ना हिन्दू धार्मिक संसकार के अपमान के रुप में देखा जाता है। हिन्दू समाज के अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दूसरा विवाह करने की आजादी भी नहीं है। यही कारण है कि पति की मृत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री के जीवन का पतन प्रारम्भ हो जाता है, जिसमें उसको सुंन्दर वस़्त्र पहननें, श्रृंगार करने, तथा इत्र व तेल का प्रयोग आदि करना वर्जित हो जाता हैं। साथ हि कई समुदाय में सर मुड़वाने कि प्रथा को भी देखा गया है, जिसके द्वारा उनकी सुन्दरता को कम किया जा सके। और सार्वजनिक उत्सवों एवं शुभ कार्यो में भी इनकी उपस्थिति को अशगुन माना जाता है। समाज में विधवा महिलाओं पर अपने परिवार द्वारा अत्याचार किया जाता है और इनको अपने पति कि मृत्यु का कारण समझा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है। कि हमारे समाज में युवा व प्रौढ़ विधवाओं की समस्याऐं ज्यादा गम्भीर हैं। उनके साथ अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किये जाते हैं तथा उन्हें पीटा जाता है, गालियां भी दी जाती हैं, और उनके साथ व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है व इनको अपने पति की सम्पत्ति से भी वंचित कर दिया जाता है। विधवा महिलाओं के उत्पीड़न के तीन प्रमुख कारण देखे जा सकते हैं– शक्ति, सम्पत्ति, कामवासना। विधवा महिलाओं की खुद की मानसिकता भी इनकी दयनीय स्थिति का कारण है। जो अपनी दयनीय स्थिति को अपनी नियति मान लेती है। तथा साथ हि साथ उन पर थोपे गये सभी धार्मिक व सामाजिक नियम भी इस हिंसा का कारण है।

वर्तमान भारतीय सामाज में विधवा महिलाओं की स्थितिः–

किसी भी समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। प्रथाऐं, मूल्य व मानदण्ड किसी भी समाज को पूर्ण रूप से जकड़े हुए है। भारत को आजाद हुए आज लगभग 72 साल हो गये फिर भी हम वर्तमान समय में विधवाओं की स्थिति निम्न पाते हैं, परन्तु उच्च समाज में देखा जाये तो शिक्षा के विस्तार, आधुनिकीकरण से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। विधवा महिलाएँ एक सम्मान पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से आनन्द में

जीवन व्यतीत कर रही है। हम समाज की दृष्टिकोण में भी परिवर्तन देख सकते हैं। परन्तु यह परिवर्तन एक सीमा तक सीमित है। कुछ जगहों पर आज भी विधवा महिलाऐं हिंसा व शोषण का शिकार हो रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण समाज में आज भी उनको हीनदृष्टि से देखा जाता है। अगर हम देखे तो वैश्वीकरण की दुनिया ने इन सामाजिक पक्षों को पूर्ण व प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए है। आज विधवा महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। और पुनर्विवाह को भी हम कई समुदायों में देख सकते हैं। कानूनी रूप से उनको उनके मृत पति की सम्पत्ति पर अधिकार भी है। सरकार द्वारा उच्च स्तर की शिक्षा व प्रशिक्षण कार्य भी दिये जा रहे हैं। जिससे वह विधवा महिलाएँ अपनी जीविका को चला सकें। यह एक उद्‌विकासीय परिवर्तन है, जो धीरे–धीरे समय के साथ व पीढ़ी के साथ परिवर्तित हो रहा है। यह परिवर्तन विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार पूर्ण होगा।

विधवा महिलाओं के उत्थान हेतु अधिनियम व सामाजिक सुधारात्मक आन्दोलनः–

महिला उत्थान हेतु अधिनियम व सुधार आन्दोलन ब्रिटिश काल से ही प्रारम्भ हो चुके थे। 19 वीं सदी के प्रारम्भ से ही कुछ सुधारक व्यक्तियों जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, केशव चन्द सैन, एनीवेसेन्ट, महर्षि कर्वे आदि ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार किया व कई महापुरूषों ने समाज सुधार के आन्दलनों का संचालन कर स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने का प्रयास किया।

विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए बनाये गये संवैधानिक अधिनियमः–

- सती प्रथा अधिनियम 1988
- हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- हिन्दू कोड बिल
- सम्पत्ति का अधिकार

- हिन्दू भरण–पोषण अधिनियम 1956

विधवा महिला उत्थान हेतु सरकारी योजनाः–

- पेंशन योजना
- राशन कार्ड योजना
- विधवा की पुत्री के लिए छात्रवृत्ति योजना
- नेशनल सोशल असिस्टेन्ट प्रोग्राम

अवधारणाओं का स्पष्टीकरणः–

धार्मिक स्थल– वह पूजा स्थल जहाँ पर लोगों, समूहों द्वारा किसी धार्मिक क्रियाकलापों को सम्पन्न किया जाता है तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति के द्वारा उपासना की जाती है। उदाहरण स्वरूप– मंदिर, मठ आदि को हम देख सकते है।

विधवा महिला– वह महिला जिसने अपने जीवन साथी को मृत्यु के उपरान्त खो दिया है। और वह महिला अन्य किसी व्यक्ति के साथ वैवाहिक बन्धन में ना बंधी हो वह महिला विधवा महिला कहलायेगी।

धार्मिक प्रथायें– वह धार्मिक क्रियायें जो सामाजिक रूप से मान्य हों व जिनका अनुशरण काफी समय से किसी विशेष समुदाय व समूह द्वारा सम्पन्न हो रहा हो तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उसे हस्तान्तरित किया जा रहा हो, तथा जिसका सम्बन्ध धर्म से हो, उसे धार्मिक प्रथा कहते हैं।

वृन्दावन– भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक पवित्र स्थल जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थल के नाम से जाना जाता है जो कि मथुरा जनपद में स्थित है।

समस्या का कथनः—

भारत एक लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर सभी भारतीय नागरिकों को समान व सम्मान से जीने के अधिकार दिये गये है। भारतीय संविधान में किसी भी मनुष्य को उसके जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन सामाजिक कुप्रथाओं के चलते वर्तमान भारतीय समाज में असमानता, स्तरीकरण व भेदभाव आदि देखने को मिलते है। जिसके द्वारा शोषण व अत्याचार को बढावा दिया गया है। भारतीय समाज में एक महिला वर्ग जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो वह शोषण का शिकार रही है, व जिनको कई सामाजिक व धार्मिक प्रथाओं व नियमों में बांध कर रखा गया है। भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर पुरूषों का शासन व प्रभुत्व है साथ ही इनके द्वारा महिला का शोषण भी व्याप्त है। इन महिला वर्ग में से वह सीमान्त महिलाओ जिनको विधवाओं का दर्जा दिया है जिनको भारतीय समाज में अभिशाप व अशुभ के रुप देखते है। जिन पर कई धार्मिक नियमों को थोप दिया जाता है व जिनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति अन्य महिलओं की तुलना में निम्न है। विधवा महिलाओं का जीवन हिन्दू समाज में अत्यन्त कष्टदायी है। व उनके लिए हमारे समाज में कोई सम्मानीय स्थान नहीं है। और उनको कदम—कदम पर कई कुरूतियों तथा अमानवीय दुर्व्यवहार से गुजरना पड़ता है। साथ ही विधवा महिलाएँ आर्थिक रूप से भी असहाय होती है। हिन्दू समाज में विधवा महिला की स्थिति दयनीय है व उनका धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है। यह प्रस्तावित अध्ययन विधवा महिला की स्थिति व उन पर धार्मिक प्रथाओं के प्रभावों से सम्बन्धित है तथा उनकी समस्याओं का गहन अध्ययन कर समाज में उनकों समान्य महिलाओं के समान जीवन जीने का अधिकार देने का प्रयास किया जायेगा।

अध्ययन का महत्वः—

महिलाओं के लिए सुधार हेतु सरकार ने अनेक कानून बनाये है तथा सामाजिक सुधारको द्वारा अनेंक सामाजिक आन्दोलन भी किये गये, परन्तु वर्तमान समाज में भी बहुत सी महिला शोषण व अत्याचार का सामना कर रही है। महिला कितनी भी आगे क्यों न बढ़ गयी हो लेकिन उन पर होने वाले अत्याचार व हिंसा आज भी बरकरार है। विधवा महिलाएँ स्वयं पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज भी

नहीं उठा सकती है इसका मुख्य कारण मनु एवं ब्राहमण व्यवस्था तथा हमारा पुरूष प्रधान समाज है जो इनको आगे बढ़ने से रोकते है सरकार द्वारा बने कानून तब तक सफल नहीं होगें जब तक समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आधुनिक समय में भी समाज विभिन्न धार्मिक कुप्रथाओं से जकड़ा हुआ व अन्धविश्वास में डूबा हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप समाज में महिला व विशेष रूप से विधवा महिला की स्थिति निम्न है। इस प्रकार यह अध्ययन वर्तमान में धार्मिक स्थलों के आश्रम में निवासित महिलाओं की सामाजिक व धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति को दर्शाने में महत्वपूर्ण है। तथा यह अध्ययन सरकार को विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु नये कार्यक्रम लागू करने तथा पुराने कार्यक्रम व नीतियों में संशोधन व सुधारात्मक प्रयास करने के लिए दिशा निर्देश करेगा। साथ ही यह भविष्य में विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने व उनका समाज में पुरूष के समान सम्मान व अधिकार दिलाने में भी सहायक होगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने इस विषय को चुनने में महत्वता दी है।

साहित्य का पुनर्वालोकनः—

- **चैन, ड्रेजे (1995)** प्रस्तुत सम्मेलन रिपोर्ट भारत में विधवा महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है तथा उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को समझने पर भी जोर देता है। प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु उन विधवा महिलाओं व 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया है तथा इस शोध में विधवा महिलाओं से सम्बन्धित सभी मुद्दो को शामिल किया ही जिसमें उनकी, सामाजिक पहिचान, सामाजिक धार्मिक प्रतिबन्ध, आर्थिक सुरक्षा तथा विधवा पुर्न विवाह के प्रति दृष्टिकोण व पारिवारिक समर्थन आदि। इन्होने अपने अध्ययन में पाया कि पति की मृत्यु के बाद विधवायें अपनी जीविका चलाने में असमर्थ होती हैं क्योंकि वह आर्थिक रूप से असहाय होती हैं तथा सम्पत्ति अधिकार के कारण वह परिवार द्वारा हिंसा का सामना भी करती हैं तथा अन्तः इन्होने विधवाओं की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पर भी बल दिया है।

- **चैन (1998)** ने अपनी पुस्तक में भारतीय विधवा महिलाओं की दशा को प्रस्तुत किया है, इनका मानना है कि विधवा महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति में न केवल आर्थिक सुरक्षा बल्कि उनका आत्म सम्मान, गरिमा तथा स्वाभिमान व समाज में भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्होने अपने निदर्शन द्वारा पाया कि भारतीय समाज में अनेक विधवा महिलायें अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं। जैसे– सामाजिक पृथक्करण, मनोवैज्ञानिक दुरूपयोग तथा भावार्थ मत विपति आदि। इन्होने अध्ययन में पाया कि समाज में विधवा महिलाओं का सामाजिक सीमान्तिकरण निम्नलिखित रूप में मिलता है। जिसमें हम देख सकते हैं कि विधवा को उसके पति की मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता है व समाज में अशुभ के रूप में देखा जाता है। और उनको शारीरिक अहिंसा का भी सामना करना पड़ता है।
- **मिश्रा ,ठूकरल (1998)** ने अपने लेख में बिहार के मुजफ्फर जिले के दो गाँव (अरोपुर व हरिहारपुर) की विधवा महिलाओं की स्थिति व उनके सम्पत्ति अधिकार को प्रस्तुत किया है। इस लेख में दर्शाया गया है कि पति की मृत्यु के पश्चात् महिला आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं, जिससे वह दूसरों पर निर्भर रहती हैं। अतः इसके परिणामस्वरूप विधवा महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु लेखक ने सोलह विधवाओं पर शोध किया है जो कि विशेषतः हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं, परन्तु यह विधवा महिलायें विभिन्न जाति व समुदाय से जुड़ी हुई हैं। यह अध्ययन विधवा महिलाओं की मृत्यु पति की सम्पत्ति व भूमि अधिकार पर जोर देता है।
- **नन्दवाना (1998)** में अपने शोधपत्र में राजस्थान के उदयपुर जिले के दो गॉव कविता कदियान की विधवा महिलाओं के भूमि सम्बन्धित अधिकार को स्पष्ट किया है इस अध्ययन को पूर्ण करने हेतु गांव में रहने वाली 57 विधवा महिलाओं को लिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विधवा महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों पर भी बल दिया है। अतः इसको भी उजागर किया है कि वह विधवा महिलायें इनका प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में कर रही हैं या नहीं। यह शोध विधवा महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं को भी प्रकट करता है। जिन

समस्याओं में से– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, वैधानिक भूमि अधिकार (राजस्थान), पारिवारिक भूमि अधिकार आदि। इस शोध में महिलाओं के भूमि अधिकार हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

- **मलाथी (2001)** ने अपने लेख में विधवा सशक्तिकरण को स्पष्ट किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में तमिलनाडू राज्य के बेलोर जिले के बलाजपत तलुक की 340 हिन्दू नायडू विधवा महिलाओं (जिनमें से 100 युवा विधवा महिलायें है, 114 मध्यम उम्र की विधवा महिलायें है, तथा 126 वृद्ध–विधवा महिला है।) की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति का तीन पीढ़ियों का अध्ययन किया है। उनका अध्ययन यह दर्शाता है कि युवा विधवा उत्तरदाताओं के विधवापन की मध्य अवधि (13.5 वर्ष) तथा मध्य आयु उत्तरदाताओं कि (14.7 वर्ष) और वृद्ध पीढ़ी की (10.7 वर्ष) है। इन्होंने यह भी पाया कि वृद्ध पीढ़ी की विधवाओं का वैवाहिक जीवन अधिक है। और विधवापन की अवधि छोटी है। इसके विपरीत युवा और मध्य आयु की विधवाओं का वैवाहिक जीवन कम होता है, और विधवापन की अवधि अधिक होती है।
- **मधुरिमा (2008)** ने प्रस्तुत पत्रिका में पंजाब राज्य में वृद्ध विधवा महिलाओं पर हो रहे शारीरिक शोषण का एक गुणात्मक अध्ययन किया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि किसी भी विकसित व विकासशील देश के लिए वृद्ध लोगों के अनुपात में होने वाली वृद्धि एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। भारतीय परम्परागत समाज में वृद्ध लोगों को एक सम्मानीय दर्जा प्राप्त है, परन्तु इन्होनें पाया कि मूल्यों के गिरावट व संरचना में परिवर्तन के साथ–साथ वृद्ध लोगों कि स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। अतः उनकी स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। वह पारिवारिक संरचना जो वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, भावात्मक सुरक्षा प्रदान करती थी किन्तु अब बढ़ते हुए वृद्धों के प्रति घरेलू हिंसा तथा परिवार द्वारा दिये जाने वाले समर्थन में आयी कमी के कारण बिगड़ती वृद्ध महिलाओं की स्थिति वर्तमान समय में दिख रही है। वृद्ध माता–पिता जिन्होंने अपने समय में एक सम्माननीय व आदरपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। परन्तु अब वह अपने बेटों की दया में पल

रहे है। इन्होंने देखा कि भारत में विधवा महिलाओं की स्थिति उनके पुत्रों–पुत्री व नातेदारी पर निर्भरता के कारण एक बहुत गम्भीर समस्या बन गयी है।

- **शर्मा (2009)** ने अपनी पुस्तक में समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार व उनके मानव अधिकार को स्पष्ट किया है। मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जिनके हकदार सभी मनुष्य है चाहे वह किसी भी देश, धर्म या जाति के हो, परन्तु इसके वाबजूद भी आज हम विश्व में कहीं भी व किसी भी रूप में मानव अधिकारों का हनन होते देखते है। इसमें इन्होंनें यह दर्शाने का प्रयास किया है कि भारतीय महिलाएँ एक ऐसा मानव समूह है, जो अत्याचार से अत्यधिक परिचित है। जो अपने जीवन के हर कदम पर इनका सामना किसी न किसी रूप में करती है। जैसे–बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, व विधवावस्था आदि। साथ ही महिलाएँ अपने अधिकारों से वंचित है, इन्होंनें पाया कि भारतीय समाज में विवाह से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण समस्याएँ है। इन्हें यथा सम्भव दूर करने के प्रयास किये जा रहे है। महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए। वे अपने दमन एवं शोषण के प्रति जागरूक हो तथा उनका विरोध करे, तभी वह संकट की स्थितियों से मुक्त हो पायेगी।
- **पाठक एवं त्रिपाठी (2010)** ने अपनी पुस्तक में धार्मिक स्थलों (वृन्दावन और वाराणसी) पर निवासित विधवा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है तथा इन धार्मिक स्थलों पर निवासित विधवाओं के सामने आने वाली चुनौती एवं समस्याओं को भी उजागर किया है। इन्होने पाया कि वृन्दावन व वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर विधवा महिला अपने मौक्ष प्राप्ति हेतु पलायन करती है, अपना जीवन भगवान की उपासना में लगा देती है। प्रस्तुत अध्ययन इस बात पर भी जोर देता है कि धार्मिक प्रथायें इन विधवा महिलाओं की शोषण का सबसे बड़ा कारण है इन्होने अपने अध्ययन के लिए धार्मिक स्थलों से 732 विधवा महिलाओं का र्निदर्शन किया गया। इसका निष्कर्ष यह दर्शाता है कि विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न है तथा आर्थिक व शारीरिक स्थिति दयनीय है इसका कारण शिक्षा व जागरूकता में कमी तथा समाज में व्याप्त धार्मिक प्रथायें हैं।

- **मादीवलप्पा (2011)** ने गुलवर्गा शहर की विधवा महिलाओं की भूमिका व परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट किया है इन्होने अपने अध्ययन को पूर्ण करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा 375 विधवा महिलाएं तथा 125 बेरोजागार विधवा महिलाओं का सर्वे किया। इन्होने पाया कि विधवा महिलाओं की जीविका में शिक्षा व रोजगार बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। फिर भी यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि विधवाओं के लिए उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान एवं सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलायी जाये। इसके साथ ही इस शोध का सुझाव था कि स्वैच्छिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता या मदद की जाये।
- **तमिलियेन्थी (2011)** ने तमिलनाडू की विधवा महिलायें व विवाहित महिलाओं के बीच में पैशे व दृष्टिकोण का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है यह अध्ययन भारत में महिलाओं के पैशे व जीवन में उनके पति की उपस्थिति व अनुपस्थिति के प्रभाव का पता लगाती है। इसमें भिन्न–भिन्न संस्थाओं के उच्च वर्ग की अंग्रेजी तथा तमिल बोलने वाली कामगाजी महिलाओं को 2 समूहों में शामिल किया है। प्रस्तुत अध्ययन मानक पद्धिति द्वारा सम्पूर्ण किया है। जिसके परिणाम प्राप्त हेतु सांख्यकीय तकनीकियों का उपयोग किया है। इन्होने पाया कि महिलाओं के पैशे से सम्बन्धित नजरिये पर साथी की उपस्थिति व अनुपस्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही उनकी कुशलता भी प्रभावित होती है।
- **जॉनसन एवं श्यामपाल (2012)** ने भारत के सामाजिक परिवर्तन में विधवा पुनर्विवाह को एक नये आयाम के रूप में देखा है, परन्तु इन्होनें यह भी देखा है कि भारत में पुनर्विवाह एक बहुत बड़ी चुनौती है, प्रस्तुत अध्ययन में लेखक ने विधवा महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाईयों व समाज में विधवा पुनर्विवाह के प्रभावों व परिणामों को उजागर किया है। साथ ही इन्होने पाया कि वर्तमान समय में हमें विधवा महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है व हमारे विकसित समाज के लिए यह एक अच्छा संकेत है तथा विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार है जहॉ पर

विधवा महिलायें सम्मान के साथ रोजगार में सम्मिलित हों तथा सभी प्रकार के धार्मिक व सामाजिक समारोह में शामिल हो सकें। इससे तात्पर्य है कि विधवा महिलाओं पर हो रहे दमन में धीरे–धीरे गिरावट हो रही है।

- **अंजी, वेल्यूमनी (2013)** प्रस्तुत लेख दिन्दीगुल जिले की ग्रामीण व शहरी विधवा महिलाओं की समकालीन सामाजिक प्रस्थिति को प्रकट करता है। इन्होंने पाया कि विधवा महिलायें खुद अपने परिवार द्वारा भेदभाव का सामना करती है। तथा यह परिवार इन विधवाओं पर सामाजिक तथा शारीरिक प्रतिबन्ध लगा देते है। जिससे वह रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती तथा स्वादिष्ट भोजन नहीं कर सकती तथा श्रृंगार भी नहीं कर सकती। इस प्रकार के प्रतिबन्धों का कठोर रूप से पालन किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु संरचनात्मक साक्षात्कार पद्धति द्वारा 500 विधवा महिलाओं का अध्ययन किया है। जिससे उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक दशा को जाना जा सकें। व उनके सुधार हेतु सुझाव दिये जा सकें।
- **मलिक (2013)** ने भारत में विधवा पुनर्विवाह की समस्याओं को प्रकट किया है। प्रस्तुत लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विधवा की स्थिति पर विमर्श किया है। साथ ही उन सभी सामाजिक सुधार आन्दोलन का भी विश्लेषण किया है। जो विधवा महिलाओं के विकास हेतु चलाये गये। व सामाजिक सुधार, आन्दोलन, राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, आदि द्वारा चलाये गये। तथा इनकी स्थिति के उत्थान हेतु गैरसरकारी संस्था व सरकारी संस्था द्वारा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित पर भी बल दिया है। साथ ही इनके लिए रोजगार के लिए ट्रेनिंग कोर्स व शिक्षा प्रदान पर भी ध्यान दिया जायें।
- **रोत्ती एवं देवी (2013**) ने अपने अध्ययन में पाण्डुचेरी के ग्रामीण समाज की विधवा महिलाओं की परिस्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है। इन्होनें पाया कि भारतीय ग्रामीण समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है साथ ही वह महिला सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों व कानूनों की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के द्वारा बताया है कि

भारत की कुल महिला जनसंख्या का 8 प्रतिशत यानि 33 मिलियन महिलायें विधवा महिलायें हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के प्रति दृष्टिकोण व मनोवृत्ति का विश्लेषण करना। साथ ही इन विधवा महिलाओं विधवापन में जाने के पश्चात् उनके सम्मुख आने वाले सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक सम्बन्धी समस्याओं समझना तथा विधवा महिलाओं पर परिवार व नातेदारी रिश्तेदारों द्वारा हुई हिंसा को भी प्रस्तुत किया है। जिनमें से बहुसंख्यक में विधवा महिलायें सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से वंचित हैं।

- **अशाप्पा (2014)** ने अपनी पुस्तक विडोज्स इन इण्डियन सोसाइटी में विधवा महिलाओं की समाज में स्थिति को दर्शाया है। इनका मानना है कि विधवा महिलायें भी समाज में अन्य महिलाओं की तरह समरूप प्रतिष्ठा रखती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों के कारण विधवा महिलाएँ समाज में अपना जीवन निश्चितता से जीने में असमर्थ है। यहाँ तक की सरकार द्वारा संचालित की गयी योजनायें (विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेशंन) इत्यादि भी इनके विकास के लिए बनाये गये। विधवा महिलाओं के पूर्ण रूप विकास में असफल साबित हो रही है। यह पुस्तक गुलबर्ना जिले की विधवा महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक व धार्मिक जीवन का विश्लेषण करती है तथा यह विभिन्न प्रकार की जाति व समुदाय की विधवाओं के सामने आने वाली समस्याओं व चुनौतियों को भी उजागर करती है और इस बात पर भी विचार करती है कि विधवा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा अधिक कल्याणकारी प्रभावी योजना चलायी जायें यह अध्ययन उन सरकारी योजनाओं का भी विश्लेषण करता है। जिसका लाभ विधवा द्वारा लिया जा रहा है। साथ ही उनका भी विश्लेषण करता जो इन लाभ से वंचित है। यह अध्ययन समाज का विधवा महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण व मनोवृत्ति की आलोचना करता है। साथ ही विधवा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समस्याओं की व्याख्या करता है।
- **कयूँम (2014)**–ने अपने अध्ययन में कश्मीर घाटी में रहने वाली विधवा महिलाओं की दशा को प्रस्तुत किया है इन्होनें अपने लेख द्वारा विधवा महिला के मानसिक आघात व नुकसान को दर्शाने

का प्रयास किया है इनका कहना है कि कश्मीर घाटी में हो रहे शस्त्र संघर्ष के कारण महिलाओं ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्षति का सामना किया है इस हिंसा के दौरान वह अपने जीवन साथी को भी खोया है। प्रस्तुत अध्ययन में विधवा महिलाओं के इस अनुभवों का विश्लेषण किया है तथा साक्षात्कार के द्वारा इन विधवा महिलाओं की क्षति, आघात व वचिंता का भी विश्लेषण किया है साथ ही इनकी जीविका को चलाने में आने वाले संकट को भी प्रस्तुत किया है।

- **साहू (2014)** ने अपने शोध पत्र में भारत में विधवावस्था का विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत किया है। इन्होंने दर्शाया है कि विधवा महिलाएँ अत्यधिक पीड़ित महिलायें होती है। वह विधवा होने के साथ साथ वह माँ और घर के मुखिया होने की जिम्मेदारी भी निभाती है। प्रत्येक उम्र की विधवायें एवं उनके बच्चों को अन्य नागरिकों की तरह सम्पूर्ण नागरिक समझना चाहिए। तथा उनकों अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारतीय समाज में विधवा महिलाओं को निम्न दर्जा प्राप्त है। वह सभी सामाजिक आर्थिक धार्मिक पक्षों से वंचित रहती है तथा उनको समाज की मुख्य धारा से निष्कासित कर दिया जाता है और कहीं तीर्थ स्थल व धार्मिक स्थलों पर छोड़ दिया जाता है। इन्होंने पाया कि भारतीय समाज विधवा महिलाओं के लिए नरक है।
- **सलूनके (2014)** ने प्रस्तुत लेख में भारत की जनजाति विधवा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। इन्होने पाया कि भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण एक सामान्य घटना है तथा इस समाज में महिला वर्ग में से विशेष महिला वर्ग विधवाएँ जिनके साथ और भी ज्यादा भेदपूर्ण व्यवहार किया जाता है। परन्तु जनजाति समाज की स्थिति सभ्य समाज की महिलाओं की तुलना में बेहतर है। प्रस्तुत अध्ययन में शोध कर्ता ने प्राथमिक श्रोत साक्षात्कार अनुसूची व अवलोकन द्वारा 39 ग्रामीण समाज की 150 जनजाति समाज की उत्तरदाताओं विधवा महिलाओं की आर्थिक शैक्षिक तथा सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया है। इन्होने पाया कि जनजाति समाज में विधवा महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार हिन्दू समाज की महिलाओं के जैसा नहीं है। लेकिन गुणवत्ता के रूप में वह द्वितीय स्थान पर है।

- **थेरेजा मेथियाज इत्यादि (2014)** ने अपने लेख में मगंलोर की युवा विधवा महिलाओं की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन का आकलन वर्णनात्मक अध्ययन द्वारा किया है व इनका कहना है कि युवा महिलाओं के साथी की मृत्यु उनके जीवन को झकझोर देने वाली घटना है। इस अध्ययन के उद्‌देश्य युवा विधवा महिलाओं द्वारा मानसिक व सामाजिक समायोजन पर बल देना है। प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु उद्‌देश्य पूर्ण पद्धति द्वारा 100 विधवा महिलाओं को चुनाव किया गया है तथा इन्होंने पाया कि 69 प्रतिशत युवा विधवा महिलाओं में औसतन समायोजन पाया है तथा इसके विपरीत 31 प्रतिशत युवा विधवा महिलाओं की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समस्या का कारण उनकी बेरोजगारी व बच्चों का साथ रहना है।
- **मोहपात्रा (2015)** ने अपने अध्ययन में भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा को बताने का प्रयास किया है। जो कि प्राचीन समय से वर्तमान समय तक की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन सभी क्षेत्र में पारिवारिक, सामाजिक व कार्यशील क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को महत्व देता है। साथ भारतीय समाज में इनकी निम्न अवस्था को भी उजागर करता है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, निम्न शिक्षा, निम्न पोषण स्तर आदि। इन्होने पाया कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति, भूमिका व व्यवहार समाज की सरंचना, मूल्य व संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती है तथा महिलाओं की पहचान उनके पति से जुड़ी होती है। जिसके फलस्वरूप विधवा महिलायें हिन्दू समाज में एक श्राप की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जो किसी भी शुभ कार्य में एक बाधक के रूप में देखी जाती हैं। प्रस्तुत निष्कर्ष के रूप में यह अध्ययन महिलाओं को पुरूष प्रदान समाज से मुक्त करने तथा उनकी स्थिति को सुधारने पर बल देती है।
- **ज़ामादार, होलकर (2015**) प्रस्तुत लेख पत्र भारत के वर्तमान समय में विधवा महिला की जीवन के गुणवत्ता पर अपना ध्यान आकर्षित करता है तथा भारतीय समाज में विधवा महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं पर भी बल देता है और इनकी समस्याओं को भी उजागर करता है। विशेष रूप से यह समस्यायें बाल विधवा, विधवा पुनर्विवाह पर निषेध आदि है। इन्होने अपने अध्ययन में यह

दर्शाने का प्रयास किया है कि भारतीय संरचना में उच्च जाति में बाल विवाह का प्रचलन तो पाया जाता है लेकिन पुनर्विवाह करना निषेध है जिसके फलस्वरूप विधवा महिला की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण व नगरीय समाज की विधवा महिलाओं की गुणवत्ता का विश्लेषण करना है, साथ ही विभिन्न प्रकार के समूहों में भी गुणवत्ता को देखना है। प्रस्तुत निष्कर्ष के रूप में बताया है कि अशिक्षित विधवाओं की तुलना में शिक्षित विधवाओं की गुणवत्ता अधिक उचित है।

- **वर्मा (2016)** ने प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में विधवा महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को प्रकट किया है साथ यह भी बताया है कि किसी भी महिला के लिए विधवा अवस्था एक प्रकार से मानसिक, भावनात्मक व दर्दनाक हादसा है जो उसके जीवन में अन्धकार भर देता है। इस अध्ययन का उद्देश्य विधवा में महिलाओं पर हो रहे दुर्व्यवहार की प्रकृति को जानना व घटना को समझना है। इन्होने पाया कि किसी भी महिला का विधवावस्था में प्रवेश करना एक विधुर से ज्यादा दुखद व अपमानजनक है, क्योंकि उनको समाज में व्याप्त लैंगिग भेदभाव व धार्मिक सामाजिक नियमों से गुजरना पड़ता है जिसके तनाव में आकर वह विधवायें या तो आत्महत्या कर लेती हैं या फिर मानसिक रोगी बन जाती हैं। विधवा महिलाओं पर शोषण व दुर्व्यवहार दक्षिण भारत की अपेक्षा पूर्वी भारत में अधिक है तथा इन विधवाओं को घर से बाहर निकाल कर आश्रम व तीर्थ स्थलों पर छोड़ दिया जाता है तथा धर्म की आड़ में रहकर इन विधवा महिलाओं का शोषण किया जाता है।
- **अन्सल (2017)** प्रस्तुत उपन्यास वृन्दावन के धार्मिक स्थलों पर रहने वाली विधवा महिलाओं की दशा को प्रकट करता है। जो कि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक पवित्र स्थल है जिसे विधवा शहर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होने पाया कि यहाँ प्रत्येक दिन हजारों में तीर्थयात्री भ्रमण करने आते हैं परन्तु यहॉ पर हजारों में विधवा मातायें भी अपनी दुखद कहानी के साथ प्रवेश करती हैं। यह उपन्यास इस बात पर बल देता है कि धर्म जो किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए है वहाँ धर्म किसी के साथ दुर्व्यवहार व शोषण के लिए हथियार सावित हो रहा है। इन्होंने

देखा कि इस धार्मिक अन्धविश्वास के कारणवश विधवा महिलाओं की स्थिति निम्न पायी जाती है। जिसके परिणामस्वरूप विधवाओं को घर से बाहर निकाल कर तीर्थ स्थल व आश्रम में छोड़ दिया जाता है। वह विधवायें आर्थिक रूप से असहाय व स्वास्थ्य से कमजोर तथा दूसरे पर निर्भर है।

अध्ययन के उद्देश्यः—

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है :—

- आश्रमों में निवासित विधवा महिलाओं के जीवन में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
- हिन्दू धार्मिक प्रथाओं का विधवा महिलाओं के जीवन पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन करना।
- आश्रमों में निवासित विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- धार्मिक स्थलों की ओर विधवा महिलाओं के पलायन के कारणों का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाः—

अध्ययन के उद्देश्यों की परिकल्पना निम्नलिखित है :—

- धार्मिक कुप्रथाओं के कारण आश्रमों की विधवा महिलायें सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करती हैं।
- पुरुष प्रधानता व धार्मिक प्रथाओं के कारण आश्रमों की विधवा महिलाओं का जीवन स्तर निम्न होता है।
- सामाजिक कुरूतियों व लिंग असमानता के कारण आश्रमों की विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक होता है।

- धार्मिक प्रथायें एवं पारिवारिक कारणों से विधवा महिलायें धार्मिक स्थलों की तरफ पलायन करती है।

पद्धतिशास्त्र

अनुसंधान क्रियाविधि को उन सभी तरीकों और तकनीकों के रूप में समझा जा सकता है। जिनका उपयोग अनुसंधान के संचालन के लिया किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में वृन्दावन क्षेत्र के आश्रमों में निवासित हिन्दू विधवा महिलाओं का अध्ययन किया जायेगा।

वृन्दावन के विधवा आश्रमों का विवरणः—

क्रम सं0	वृन्दावन के विधवा आश्रम	विधवा महिलाओं की संख्या
1.	फेज प्रथम व फेज द्वितीय	233
2.	सीताराम सदन	84
3.	कृष्णा कुटीर आश्रय सदन	43
4.	अमर वादी माँ धाम	64
5.	राजबिहारी	70
6.	लीलाकुंज	64
7.	महिला आश्रय सदन	238
8.	मीरा महिला आश्रय	277
9.	तारा आश्रम	65
	योग	1138

शोध प्ररचनाः–

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना पर आधारित होगा।

अध्ययन क्षेत्र व समग्रः–

प्रस्तावित अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जनपद के वृन्दावन धार्मिक स्थल का चयन किया गया है। वृन्दावन में विधवा महिलाओं की अनुमानित कुल जनसंख्या लगभग 16,516 है। जो अध्ययन के समग्र की रचना करती है।

निदर्शनः–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में विधवा महिलाओं की कुल जनसंख्या 16,516 में से 2 प्रतिशत के आधार पर 330 इकाईयों का वृन्दावन के विधवा आश्रमों में से दैव निदर्शन की लॉटरी पद्धति के आधार पर चयन किया जायेगा।

तथ्यों संकलन के स्त्रोतः–

प्रस्तावित अध्ययन को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा। सूचनादाताओं से सम्पर्क स्थापित कर प्राथमिक स्त्रोतों को एकत्रित किया जायेगा। साथ ही प्रकाशित अभिलेखों जैसे–पुस्तकों, समाचार पत्रों, शोध पत्रिकाओं, इण्टरनेट आदि द्वारा द्वितीयक स्त्रोतों को एकत्रित किया जायेगा।

अध्ययन सयंत्रः–

तथ्य संकलन हेतु अध्ययन संयत्र के रूप में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करने का निश्चय किया जायेगा।

अध्ययन शोध प्रविधि–

प्रस्तुत अध्ययन के संयत्र के रूप में ज्यामितीय पद्धति एवं काई वर्ग परीक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

तथ्यों का सम्पादन एवं संकेतनः—

तथ्यों का सम्पादन एवं सकेंतन तथ्यों को क्रमबद्ध करना, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना तथ्यों का सम्पादन कहलाता है। अतः संकलित तथ्यों का सम्पादन कर उनका सकेंतन भी किया जायेगा।

तथ्यो का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरणः—

संकलित तथ्यों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गो में वर्गीकृत कर उनको सारणियों में प्रदर्शित किया जायेगा, तत्पश्चात उनका विश्लेषण किया जायेगा व अन्त में निष्कर्षो का सामान्यीकरण किया जायेगा।

प्रस्तावित अध्यायीकरण

प्रथम अध्याय– प्रस्तावना

- प्रस्तावना
- अवधारणाओं का स्पष्टीकरण
- समस्या का कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुनर्वालोकन
- अध्ययन के उद्देश्य
- अध्ययन की परिकल्पना

द्वितीय अध्याय– पद्धतिशास्त्र

- शोध प्ररचना
- अध्ययन का क्षेत्र
- निदर्शन
- अध्ययन संयंत्र
- अध्ययन शोध प्रविधि
- तथ्य संकलन
- तथ्यों का संपादन एवं संकेतन
- तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण

तृतीय अध्याय

- आश्रमों में निवासित विधवा महिलाओं के जीवन में उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों का अध्ययन।

चतुर्थ अध्याय

- हिन्दू धार्मिक प्रथाओं का विधवा महिलाओं के जीवन पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन।

षष्ठ अध्याय

- आश्रमों में निवासित विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।

सप्तम अध्याय

- धार्मिक स्थलों की ओर विधवा महिलाओं के पलायन के कारणों का अध्ययन।

अष्टम अध्याय

- परिणाम एंव सुझाव
- निष्कर्ष
- संदर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थः–

- अंसल कुसुम, (2017) ''द विडो ऑफ वृन्दावन'', विताशा पब्लिकेशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली
- चैन, मरिथे, (1998) ''इन्ट्रॉडक्शनः विडोस् इन इण्डिया'', सैज पब्लिकेशन्स।
- माहेश्वरी, सरला, (2007) ''नारी प्रश्न'', राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
- माडोत, दिनेश, (2010) ''भारत की सांस्कृतिक विरासत'', अंकित पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- परमार, सुभ्रा, (2015) ''नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार'', ओरियंट ब्लैकस्वॉक प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
- पाठक, बिन्देश्वर, (2016) ''सुलभ इण्डियाः विधवाओं की वेदना'', सुलभ सैनिटेशन मिशन फाउन्डेशन. 14–23।
- पाठक, बिन्देश्वर एवं त्रिपाठी, सतेन्द्र, (2016) ''विडोस् इन इण्डियाः स्ट्डीस ऑफ वृन्दावन एवं बनारस'', रावत पब्लिकेशन, दिल्ली।
- राउ, शंकर, सी. एन, (2008) ''सोशियोलॉजी'', एस चन्द एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
- रावत, ज्ञानेन्द्र, (2016) ''औरतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'', विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- रावत, ज्ञानेन्द्र, (2006), ''औरतः अस्मिता एवं यथार्थ'', कान्ति बुक सेंटर, नई दिल्ली।
- शर्मा, मंजू, (2009), ''नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवधिकार'' मार्क पब्लिशर्स, जयपुर।
- शर्मा, रमा एवं मिश्रा, एम0 के0, (2016) ''भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान'', अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
- शर्मा, सीमा, (2016) ''भारतीय संस्कृति एक अध्ययन'', अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।

- Anji, A and Velumani, K (2013). Contemporary Social Position Widowhood Among Rural & Urban Area: Special Refrence to Dindigul District: *International Journal of Advancements in Reseach and Technology* 2, 69-92.
- Chen Martha Alter and Druze, Jean (1992). Windows and Health in Rural North India. *Economic and Political Weekly*, 24-31.
- Devi, K. And Rotti, S.B. (2013). Indepth Interview of the Status of Widows in Rural Areas of Pandicherry *International Journal of Scientific and Research Publication* 3 (4), 1-5.
- Dipti Maayee Sahoo (2014). An Analysis of widowhood in India: A Global Perspective. *International Journal of Multidisciplinary and Global Research*.2, 45-58.
- Emmanuel Janagan Johnson and Shyamala (2012). Widow Remarriage: A New Dimension of Social Change in India *International Journal of Humanities and Social Sciences* 2 (3), 195-205.
- Farah Quayoom (2014). Women and Armed Conflict: Widows in Kashmir. *International of Sociology and Anthropology*. 6, 161-168.
- Hanumantha Rayappa, P and Umarani, K.S.(1987). Incidence of Widowhood in Karnataka Paper Presented at the National Seminar of Widowhood in India. Dharwad Mareh 27-28,1987.
- Malathi, K (2007). Empowerment of Widows: A Three Generation Study, Serials Publication.New Delhi.
- Mishra, S and Thukral, E.G. (1998). Widows and Property Rights A Study of Two Villages in Bihar, Sage Publication, 241-256.
- Ramesh, A. (2014). Widows in Indian Society Solapur, Laxmi Publication.
- Salunke, S.B. (2014). Socio- Economic Status of Tribal Widow in India. *International Journal of Pharmaaceutical Science and Health Care*.4 (2), 137-144.
- Taminlenthi, S.et al. (2011), Professional Perception: Comparative Study of Married Women and Single Women (Widow) in Tamilnadu, India. *International Journal of Current Research*. 3 (5) 149-153.

- Thereza, M. et al. (2014). A Descriptive Study To Assess Psycho- Social Adjustment of Young Widows In Mangolori. *International Journal of Scientific Research.* 3. (11), 412-413.
- Malik, V. (2013). Problems of Widows Remarriage in India: *A Study Journal of Business Management and Social Science Research.* 2. (2), 23-31.
- Vyas, Girija, (2009-2010) " National Commision for Women: Study of Widows At Vrindavan"
- Yoshihiko Kadaya And Ting Ying (2012): Widow Discrimination and Family Care Giving in India, The Institute of Social and Economic Research Paper No. 858 Nov.
- http://www.youraticlelibrary.com/society/indian-society/top5-problems-faced-by-widows-in-India 47645
- http://www.youraticlelibrary.com/2012/05/widows-in-india-a-poor-lonely-and-ostraliped-citizenry/.
- http://www.vagabomb.com/8-Absurd-Customs-Indian-widows-Have-faced-through-the-years./
- https://www.quora.com/why-are-hindu-widows-required-to-wear-only-white-sarees-altor-thier-husbands-death/
- Shodhganga.inflibnet.ac.in>bitstream
- https://holynoyages.com./vrindavan/about/widows-ashram-vrindavan-mathura-india.aspa.
- https://www.ennow.in/plight-widows-india
- https://www.quara.com/what-kind-of-problems-are-vrindavan-widows-facing.
- http://www.islam-hinduism-com/en/sufferings-of-widows-in-hinduism
- http://www.youthkiawaaz.com/2012/05/widows-in-india-a-poor-lonely-and-ostracised-citizenary.
- https://www.quara.com/how-are-widows-treated-in-modern-india.
- https://widowsofvrindavan.blogspot.com/?m=1